

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./26 (अ)/07/2179 भोपाल,दिनांक: 9/7/07

आदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों के स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किए जाते हैं :-

स.क.	कर्मचारी का नाम/पद/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1	श्रीमती सुमनलता वर्मा, सहा.शि.शा.पूर्व मा.शा.माडूमर, पठा	टीकमगढ़	इन्दौर


- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कड़िका- 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं । अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये ।


8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है ।

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./31/07/2180 भोपाल दिनांक 9/7/07  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
  2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
  3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
  4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल ।
  5. कलेक्टर, जिला - टीकमगढ़/इन्दौर म.प्र. ।
  6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला- टीकमगढ़/इन्दौर म.प्र. ।
  7. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर एवं इन्दौर संभाग म.प्र. ।
  8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला- टीकमगढ़/इन्दौर म.प्र. ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. सहायक संचालक/कम्प्यूटर प्रभारी, स्थानीय लोक शिक्षण की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
  10. संबंधित श्री/श्री.ती/सुश्री.....  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश